भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. *136

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 09 फरवरी, 2026/ 20 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है)

बहुस्तरीय कर ढांचा

***136 श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में आयकर, अधिभार, उपकर और जीएसटी सहित अत्यधिक उच्च और बहुविध करों के कारण मध्यम वर्ग, वेतनभोगी कर्मचारी और पेशेवर वर्ग आर्थिक रूप से शोषित महसूस कर रहे हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि यह बहुस्तरीय कर ढांचा नागरिकों की वास्तविक आय और बचत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि यदि वर्तमान कठोर कर नीतियों में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो भारत कर वसूली करने वाला राष्ट्र नहीं रह जाएगा और इसके बजाय अपने करताओं को खोने वाला राष्ट्र बन जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अत्यधिक कराधान के बोझ तले दबे भारतीय नागरिकों को रोक कर रखने के लिए आयकर, उपकर, अधिभार और जीएसटी में वास्तविक और ठोस सुधार लाने हेतु कोई स्पष्ट रूपरेखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह उच्च और बहु-कराधान वाली प्रणाली नागरिकों को विदेशों में, विशेषकर कर मुक्त देशों में प्रयास करने के लिए बाध्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा "मल्टी-लेयर्ड टैक्स स्ट्रक्चर" के संबंध में पूछा गया लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*136, जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2026 को दिया जाना है, के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) जी नहीं। केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2025-26 के लिए देश का कर से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 18.4% है। यह जी20 के तुलनीय विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम में से एक है।

(घ) सरकार ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में विभिन्न सुधार किए हैं। इसका विवरण अनुलग्नक 'क' में हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक' क'

<u>प्रत्यक्ष कर के संबंध में :</u>

भारत में बहु-स्तरीय आयकर संरचना नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, अर्जित आय पर आयकर लगाया जाता है। इसके अलावा, आयकर की राशि पर अधिभार और उपकर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है। संपत्ति कर, उपहार कर और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जैसे अन्य प्रत्यक्ष करों को पिछले कुछ समय में कानून से हटा दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने सरलीकरण, युक्तिकरण, अनुपालन में आसानी, मुकदमेबाजी में कमी लाने और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों में व्यापक और निरंतर सुधार किए हैं। किए गए प्रमुख सुधारों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

I. <u>कर दरों में कमी तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों का सरलीकरण</u>

(i) **<u>कॉर्पोरेट कर</u>:** विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से एक ऐतिहासिक कर सुधार किया है, जिसने सभी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर व्यवस्था प्रदान की। छूट/कटौती हटाने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप, ये कम दरें केवल उन कंपनियों पर लागू होती हैं जो छूट/कटौती का लाभ नहीं उठाती हैं। इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से भी छूट दी गई है।

इसके अलावा, जैसा कि वित्त विधेयक, 2026 में प्रस्तावित किया गया है, एमएटी दरों को घटाकर 14% कर दिया गया है और इसे अंतिम न्यूनतम वैकल्पिक कर भी प्रस्तावित किया गया है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि संचित एमएटी क्रेडिट का समायोजन केवल उन घरेलू कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। इससे घरेलू कंपनियों को नई कर व्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। इससे इन कंपनियों के लिए एक सरल कराधान ढांचा भी सक्षम होगा जहां उन्हें छूट/कटौतियों के बिना कम कर दरें मिलेंगी।

(ii) **<u>विदेशी कंपनियों की दर में 35 प्रतिशत की कमी</u>:** वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के अनुसार विदेशी कंपनी की आय पर लगने वाले आयकर की दर (विशेष दरों पर लगने वाले आयकर के अलावा) को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) **<u>व्यक्तिगत आयकर</u>:** व्यक्तिगत आयकर में सुधार करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तिगत करदाताओं को कम स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है, यदि वे निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं। उपरोक्त के अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 ने सहकारी समितियों को भी किसी निर्दिष्ट कटौती या प्रोत्साहन का दावा किए बिना रियायती दरों पर करों का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है। वित्त अधिनियम, 2025 ने नए स्लैब और कम कर दरों के साथ नई कर व्यवस्था के तहत पर्याप्त राहत प्रदान की है।

(iv) **<u>नई कर व्यवस्था में छूट में वृद्धि</u>**: वित्त विधेयक, **2025** ने नई व्यवस्था के तहत निवासी व्यक्ति के लिए छूट में वृद्धि की है ताकि यदि उनकी कुल आय **12,00,000** रुपये तक है तो वे कर का भुगतान न करें। नई कर व्यवस्था के तहत पहले प्रदान की गई सीमांत राहत **12,00,000** रुपये से थोड़ी अधिक आय के लिए भी लागू है।

वेतनभोगी के लिए 75000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है। इसलिए वेतनभोगी व्यक्ति कर नहीं देते हैं यदि उनकी सकल कुल आय 12,75,000 रुपये तक है।

(v) **<u>लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का उन्मूलन</u>**: भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने और निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए, जिनके मामले में लाभांश आय डीडीटी की दर से कम दर पर कर योग्य है, वित्त अधिनियम, 2020 ने लाभांश वितरण कर को हटा दिया जिसके तहत कंपनियों को 01.04.2020 से डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभांश आय पर कर केवल प्राप्तकर्ताओं के हाथों में उनकी लागू दर पर ही लगाया जाएगा।

(vi) **<u>स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन</u>**: देश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्ट-अप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने की पात्रता को वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, स्टार्ट-अप के वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ छूट को भी वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से एक और वर्ष के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। पात्र स्टार्ट-अप के लिए सीमा पहले 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई थी। वित्त अधिनियम, 2023 में यह भी प्रावधान किया गया था कि पात्र स्टार्ट-अप की अग्रेषित हानि की क्षतिपूर्ति के लिए माना जाएगा, यदि ऐसा नुकसान उस वर्ष से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के दौरान हुआ है जिसमें ऐसी कंपनी को शामिल किया गया था। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2025 में धारा 80-आईएसी के तहत स्टार्ट-अप को दिए गए लाभ को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है, यानी यह लाभ 01.04.2030 से पहले शामिल किए गए पात्र स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध होगा।

करदाताओं के लिए अनुपालन में सरलता

(i) **<u>पूंजीगत लाभ कराधान व्यवस्था का सरलीकरण और सुव्यवस्थिकरण</u>**: पूंजीगत परिसंपत्तियों को रखने की अवधि को संशोधित प्रावधानों के साथ सरल बनाया गया है, जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए 12/24 महीने की अवधि प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 111ए के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर को एसटीटी भुगतान किए गए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख निधियों की इकाइयों और व्यवसायिक ट्रस्टों के लिए 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ऊर्ध्व पूंजीगत परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की दर को 10% से 12.5% तक सुव्यवस्थित बनाया गया है। अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में कराधान की दर को सुव्यवस्थित और सरल बनाया गया है और सूचकांक के बिना 12.5% कर दिया गया है, जबकि पहले सूचकांक के साथ 20% की दर थी। 23 जुलाई, 2024 से पहले अधिग्रहित अचल संपत्ति के संबंध में लाभप्रद व्यवस्था का विकल्प प्रदान किया गया है। यह विकल्प निवासी व्यक्तियों/एचयूएफ को प्रदान किया गया है।

(ii) **<u>कुछ टीडीएस दरों का सुव्यवस्थिकरण</u>**: कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने और करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से स्रोत पर कुछ कर कटौती (टीडीएस) दरों को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इनमें धारा 194डी (बीमा आयोग का भुगतान (कंपनी के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में) (1.4.2025 से प्रभावी), 194डीए (जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान), 194जी (लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन आदि), 194एच (कमीशन या ब्रोकरेज का भुगतान), 194-आईबी (कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराए का भुगतान), 194एम (कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कुछ राशि का भुगतान) शामिल हैं। धारा 194-ओ (ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई-कॉमर्स प्रतिभागी को कुछ राशि का भुगतान) के तहत टीडीएस की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 194एफ को म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद के कारण किए गए भुगतान से संबंधित हटा दिया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 206सी(1एच) को गैर-लागू कर दिया गया है।

(iii) **धर्मार्थ न्यास/संस्थाएँ:** छूट के लिए दो योजनाओं को मिलाने और धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को कुछ लाभों के पंजीकरण और अनुमोदन के लिए आवेदन दाखिल करने और समय-सीमा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, छोटे न्यासों या संस्थाओं के लिए न्यास या संस्था के पंजीकरण की वैधता अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए संशोधन किए गए हैं। न्यास या संस्था के पंजीकरण को रद्द करने के लिए निर्दिष्ट उल्लंघन की परिभाषा को सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि इसे मामूली चूक के लिए अपूर्ण आवेदनों के समान लागू न किया जाए। इसके अलावा, छूट से इनकार करने के लिए किसी न्यास या संस्था में पर्याप्त योगदान करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा को भी सुव्यवस्थित बनाया गया है।

(iv) **फेसलेस निर्धारण :** 12 सितंबर, 2019 को अधिसूचित ई-निर्धारण योजना, 2019, मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती के बीच इंटरफेस को समाप्त करके, कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और टीम-आधारित मूल्यांकन शुरू करके मूल्यांकन करने के लिए एक नई व्यवस्था प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त योजना का बाद में नाम बदलकर फेसलेस असेसमेंट स्कीम, 2019 कर दिया गया। कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 (टीओएलए) के अनुसार, उक्त योजना को धारा 144बी डालकर आयकर अधिनियम में शामिल किया गया था।

(v) **फेसलेस अपील:** सुधारों को अगले स्तर तक ले जाने और मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 ने केंद्र सरकार को फेसलेस अपील योजना को अधिसूचित करने का अधिकार दिया ताकि अपीलकर्ता और आयकर आयुक्त (अपील) के बीच विभाग के अपीलीय कार्य में मानवीय हस्तक्षेप को खत्म किया जा सके। फेसलेस अपील योजना, 2020 को 25.09.2020 को अधिसूचित किया गया था और बाद में इसे फेसलेस अपील योजना, 2021 के रूप में संशोधित किया गया, जिसे 28.12.2021 को अधिसूचित किया गया था।

(vi) **नया प्ररुप 26एएस**: नया प्ररुप 26एएस पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इस नए फॉर्म में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह, निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन, और करों का भुगतान, मांग और वापसी, लंबित और पूरी हो चुकी कार्यवाही की सभी जानकारी शामिल है।

(vii)**आयकर रिटर्न का पूर्व-भरण**: कर अनुपालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को पूर्व-भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रदान किए गए हैं। आईटीआर फॉर्म में अब वेतन आय जैसी कुछ आय का पूर्व-भरा हुआ विवरण होता है।

(viii) **अनुमानित कराधान योजनाओं के लिए सीमा सीमाओं में वृद्धि:** वित्त अधिनियम, 2023 ने कुछ शर्तों के अधीन कराधान की अनुमानित योजना का लाभ उठाने के लिए सीमा सीमाओं में वृद्धि की है। छोटे उद्यमों के मामले में, जिनकी नकद प्राप्तियां 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, अनुमानित योजना का लाभ उठाने के लिए सीमा सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। पेशेवरों के मामले में जिनकी नकद प्राप्तियां 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, उक्त सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

III. **मुकदमेबाजी में कमी:**

(i) **अद्यतन रिटर्न**: स्वैच्छिक अनुपालन की सुगमता बढ़ाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, धारा 139 में एक नई उप-धारा (8**ए**) डाली गई है, जिससे करदाता को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर कभी भी अपना रिटर्न अद्यतन करने में सुविधा होगी। करदाता स्वैच्छिक रूप से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और लागू होने पर अतिरिक्त कर का भुगतान करके अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। अद्यतन रिटर्न में परिलक्षित अतिरिक्त आय के लिए लागू सामान्य कर से ऊपर अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम में धारा 140**बी** डाली गई थी। इसके अलावा, अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से मौजूदा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया है।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में :

1. जीएसटी में सुधार (जीएसटी 2.0)

दिनांक 3 सितंबर, 2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित सभी के लिए कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयगत फोकस के साथ सुधारों को मंजूरी दी।

1.1 जीएसटी दर युक्तिकरण:

1.1.1 जी.एस.टी. परिषद ने आम आदमी, श्रम-गहन उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दर युक्तिकरण को मंजूरी दी है।

1.1.2 वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में सुव्यवस्थित बनाना - एक 2 दर संरचना जिसमें मानक दर 18% और योग्यता दर 5% है; चुनिंदा कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष अवगुण दर।

1.1.3 जीएसटी दरों में परिवर्तन को अधिसूचना संख्या 9/2025-केंद्रीय कर (दर), अधिसूचना संख्या 10/2025-केंद्रीय कर (दर), अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) और अधिसूचना 14/2025-केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये अधिसूचनाएं 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो गई हैं। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद जीएसटी स्लैब में वस्तुओं का नया वितरण इस प्रकार है:

- **शून्य दरः** आवश्यक खाद्य वस्तुओं (यू.एच.टी. दूध, पनीर, चपाती/रोटी/पराठा जैसी सभी भारतीय ब्रेड), अभ्यास पुस्तकों/नोटबुक, रबर, पेंसिल शार्पनर, मानचित्र और 36 जीवन रक्षक दवाओं को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया गया है।
- **5% दर (मेरिट दर):** आम आदमी की वस्तुओं (बाल तेल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल), अधिकांश खाद्य वस्तुओं (पैकेज्ड नमकीन, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, घी), कृषि वस्तुओं (ट्रैक्टर, खेती की मशीनरी), नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, सभी दवाओं और औषधियों (12% से कम), वस्त्र, हस्तशिल्प, 2,500 रुपये तक के जूते-चप्पल को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है।
- **18% मानकीकृत दर**: अब छोटी कारों और ≤350 सी.सी. की मोटरसाइकिलों, टी.वी., ए.सी., डिशवॉशर, सीमेंट, बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस, ऑटो पार्ट्स, बीड़ी और अधिकांश अन्य सामानों को शामिल किया गया है।
- **40% (अयोग्यता दर):** विलासिता कारों, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों, नौकाओं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान, तंबाकू उत्पादों (बीड़ी को छोड़कर), पान मसाला, वातित पेय, कैफीनयुक्त पेय और इसी तरह की अयोग्यता वाली वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित है।
  यह एक बड़े सरलीकरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अधिकांश वस्तुएं अब या तो 5% या 18% की दर के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 12% स्लैब को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया है और 28% स्लैब को केवल सबसे अधिक अहितकर वस्तुओं के लिए 40% में पुनर्गठित किया गया है।

1.1.4 सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में परिवर्तन को अधिसूचना संख्या 15/2025-केंद्रीय कर (दर), अधिसूचना संख्या 16/2025-केंद्रीय कर (दर) और अधिसूचना संख्या 17/2025-केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये अधिसूचनाएं 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो गई हैं। कई सेवा प्रदाताओं को 12% जीएसटी स्लैब से 5% स्लैब, 18% स्लैब में स्थानांतरित किया गया और कुछ अवगुण सेवाओं को 40% स्लैब में रखा गया जैसे कि:

- **5% दर (मेरिट दर)**: होटल आवास जैसी आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। ₹7,500/दिन तक के कमरे के किराए वाली सेवाएं, गाड़ी का तृतीय-पक्ष बीमा, सिनेमैटोग्राफ फिल्में जहां प्रवेश टिकट का मूल्य ₹100 तक है, जॉब वर्क सेवाएं (फार्मास्यूटिकल्स, चमड़े के उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के लिए), और सौंदर्य/कल्याण सेवाएं।

- **18% (मानक दर):** पोस्ट दर युक्तिकरण के बाद, कई सेवाओं पर जीएसटी को 12% से संशोधित कर 18% कर दिया गया है, जिसमें कुछ कार्य अनुबंध सेवाएं शामिल हैं; अर्थव्यवस्था वर्ग के अलावा अन्य में यात्रियों के हवाई परिवहन की सेवाएं; पेट्रोलियम कच्चे या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक सेवाएं; पेट्रोलियम कच्चे या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग के लिए समर्थन सेवाएं और अवशिष्ट जॉब वर्क सेवाएं जो स्पष्ट रूप से कहीं और शामिल नहीं हैं।

- **40% (अयोग्यता दर)**: कैसीनो, जुआ, रेस क्लब और निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों से संबंधित बहुत कम सेवाएं।

1.1.5 इसके अलावा, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर पूर्ण जीएसटी छूट, चाहे वह टर्म लाइफ हो, यूएलआईपी हो या एंडोमेंट पॉलिसी और उसका पुनर्बीमा, ताकि आम आदमी के लिए बीमा किफायती हो सके और देश में बीमा कवरेज में वृद्धि हो सके। सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (जिसमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी शामिल हैं) और उसका पुनर्बीमा, ताकि आम आदमी के लिए बीमा किफायती हो सके और देश में बीमा कवरेज में वृद्धि हो सके।

2. <u>सरलीकरण और अनुपालन में आसानी के लिए हालिया उपाय (जी.एस.टी.):</u>

- **छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना:** जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए एक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना की सिफारिश की है, जिसमें कम जोखिम वाले आवेदकों और उन आवेदकों के मामले में आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित आधार पर पंजीकरण दिया जाएगा, जो अपने स्वयं के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर उनकी आउटपुट टैक्स देयता 2.5 लाख रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी (जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी शामिल हैं)। यह योजना स्वेच्छा से योजना में शामिल होने और योजना से बाहर निकलने का प्रावधान करेगी। इससे जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले लगभग 96% नए आवेदकों को लाभ होगा। यह 1 नवंबर, 2025 से चालू हो गया है और इसके सुचारू रूप से काम करने की सूचना है।

- **इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से आपूर्ति करने वाले छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए सरलीकृत पंजीकरण योजना की शुरुआत:** परिषद ने ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाले छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण तंत्र की अवधारणा को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। कई राज्यों में प्रत्येक राज्य में व्यवसाय के मूल स्थान को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि वर्तमान में जीएसटी ढांचे के तहत आवश्यक है। इससे ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा और राज्यों में ई-कॉमर्स में उनकी भागीदारी सुगम होगी।
- **वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य-रेटेड आपूर्ति (अर्थात वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात या अधिकृत कार्यों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के डेवलपर/इकाई को आपूर्ति) के कारण धन-वापसी के दावों को सुविधाजनक बनाने के लिए जोखिम-आधारित अनंतिम धन-वापसी की स्वीकृति:** सी.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 91(2) में संशोधन किया गया है ताकि उचित अधिकारी द्वारा सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम धन-वापसी के रूप में दावा किए गए धन-वापसी के 90% की स्वीकृति प्रदान की जा सके।

- **उल्टे शुल्क ढांचे (आईडीएस) से उत्पन्न होने वाले रिफंड के जोखिम-आधारित अनंतिम स्वीकृति का प्रस्ताव:** परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) में संशोधन करने की भी सिफारिश की है, ताकि उल्टे शुल्क ढांचे से उत्पन्न होने वाले मामलों में अनंतिम आधार पर दावा किए गए रिफंड का 90% स्वीकृत किया जा सके, उसी तरह जैसे वर्तमान में शून्य-रेटेड आपूर्ति के संबंध में रिफंड के लिए उपलब्ध है।
- **कम मूल्य के निर्यात खेपों के संबंध में जीएसटी रिफंड प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन:** परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(14) में संशोधन करने की भी सिफारिश की है ताकि कर के भुगतान के साथ किए गए निर्यात से उत्पन्न होने वाले रिफंड के लिए सीमा को हटाया जा सके। इससे विशेष रूप से कूरियर, डाक आदि के माध्यम से निर्यात करने वाले छोटे निर्यातकों के लिए सहायक होगा।
- **आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत मध्यवर्ती सेवाओं के लिए आपूर्ति प्रावधानों के स्थान पर 1.2.6. संशोधन**: परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 13(8) के खंड (ख) को हटाने की सिफारिश की। तदनुसार, उक्त कानून संशोधन के बाद, "मध्यवर्ती सेवाओं" के लिए आपूर्ति का स्थान आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(2) के तहत डिफ़ॉल्ट प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, यानी ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान। इससे ऐसी सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को निर्यात लाभ का दावा करने में मदद मिलेगी।

3. सरलीकरण और अनुपालन में आसानी के लिए हालिया उपाय (सीमा शुल्क):

- **गैर-टैरिफ उपायों के लिए केंद्रीय भंडार (एन.टी.एम.)** - सी.बी.आई.सी. ने पी.जी.ए. द्वारा जारी किए गए एन.टी.एम. को मैप करने के लिए यू.एन.सी.टी.ए.डी. पद्धति का उपयोग करके एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाई है। नियंत्रण संख्या वाले **481** एन.टी.एम. व्यापार संदर्भ और व्यापार को समझने में आसानी के लिए अनुपालन सूचना पोर्टल पर प्रकाशित किए गए हैं।
- **ई-कॉमर्स निर्यात के लिए हब एंड स्पोक मॉडल**- डाक विभाग के साथ शुरू किया गया एक परिवर्तनकारी डाक निर्यात मॉडल, जो **1.54** लाख डाकघरों का लाभ उठाता है। निर्यात विनियमों के डाक बिल (दिसंबर **2022)** के माध्यम से कानूनी समर्थन प्रदान किया गया। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए एफटीपी **2023** द्वारा समर्थित।
- **इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (ई-सीओओ)**- यह अनुपालन लागत को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और व्यापार प्रक्रिया में पारदर्शिता में सुधार करने के लिए है।
- **आई.सी.ई.टी.ए.बी.** 2.0 **लॉन्च-** तेजी से सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया के लिए क्षेत्र संचालन को बढ़ाने और भारत की व्यापार करने में सुगमता रैंकिंग में सुधार के लिए उन्नत स्मार्ट टैबलेट (आई.सी.ई.टी.ए.बी. **2.0)** लॉन्च किए गए हैं।
- **तेज़ शुल्क वापसी वितरण-** जून **2024** में तेज़, कागज़ रहित और स्वचालित शुल्क वापसी वितरण के लिए ऑनलाइन पी.एफ.एम.एस.-आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की गई है।
- एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल (ई.आर.ए.एम.)- स्वचालित विनिमय दर प्रकाशन प्रणाली जुलाई **2024** में शुरू की गई, जो मैनुअल प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करती है और आयातकों/निर्यातकों के लिए पारदर्शिता में सुधार करती है।
- **ई.सी.सी.एस. के तहत ऑटो लेट निर्यात आदेश -** आर.एम.एस. द्वारा चिह्नित नहीं किए गए कूरियर शिपिंग बिलों के लिए ऑटो एल.ई.ओ. सक्षम किया गया है, जिससे एक्सप्रेस कार्गो निकासी सुव्यवस्थित हो गई है।
- **इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ई.सी.एल.)-** अप्रैल **2023** से ई.सी.एल. के चरणबद्ध कार्यान्वयन से व्यापार उपयोगकर्ता आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. के माध्यम से सीमा शुल्क भुगतान के लिए डिजिटल रूप से धन जमा कर सकते हैं।
- **लैंगिक-समावेशी बुनियादी ढाँचा -** मार्च **2024** में जारी परिपत्र में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स हब (सी.एफ.एस./ए.एफ.एस./आई.सी.डी.) में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सुविधाओं को अनिवार्य किया गया है।
- **कूरियर माध्यम से निर्यात लाभ-** सितंबर **2024** से सी.बी.आई.सी. ने कूरियर माध्यम से निर्यात के लिए शुल्क वापसी, आर.ओ.डी.टी.ई.पी. और आर.ओ.एस.सी.टी.एल. लाभों का विस्तार किया, जिससे ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिला।
- **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्रों (एन.ए.सी.) का नवीनीकरण -** बेहतर विशेषज्ञता और एकसमान मूल्यांकन के लिए चेहराविहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एन.ए.सी. को **11** से **8** में पुनर्गठित किया गया है।

- **सीमा शुल्क वापसी का स्वचालन-** शीघ्र, पारदर्शी और कागज रहित वितरण के लिए आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. के माध्यम से वापसी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और ई-बी.जी. सुविधा-** व्यापार के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए बंदरगाहों पर कई भौतिक बॉन्डों को बदलने के लिए एकल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड (एस.ई.बी.) शुरू किया गया है।
- **वेगा ढाँचा**- वेगा आगमन पर आवाजाही और आयातक-परिसर की जाँच के माध्यम से तेजी से निकासी को सक्षम बनाता है।
- **अनंतिम मूल्यांकन विनियमन-** सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन का अंतिम रूप) विनियम, 2025 सितंबर 2025 में जारी किया गया था, जिसमें अनंतिम मूल्यांकन के अंतिम रूप के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई थी, ताकि कार्यशील पूंजी की रुकावट को कम किया जा सके, व्यापार के लिए पूर्वानुमान क्षमता और तेजी से धनवापसी में वृद्धि की जा सके।
- **आईएफएससी कोड ऑटो-अप्रूवल सुधार-** सी.बी.आई.सी. ने प्रोत्साहन-लिंक्ड बैंक खातों के आईएफएससी कोड पंजीकरण के लिए एक सिस्टम-आधारित ऑटो-अप्रूवल तंत्र पेश किया है। इस सुधार के तहत, एक बार किसी भी सीमा शुल्क स्थान पर एक निर्यातक के आई.ई.सी. और बैंक खाता-आई.एफ.एससी. संयोजन को मंजूरी मिल जाने के बाद, यह भारत में सभी सीमा शुल्क बंदरगाहों पर स्वचालित रूप से मान्य हो जाता है, जिससे पहले की बंदरगाह-वार मैनुअल अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह सुधार आई.जी.एस.टी. रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक के तेजी से क्रेडिट को सक्षम करके, आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. के माध्यम से दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करके, और कई बंदरगाहों के माध्यम से काम करने वाले निर्यातकों के लिए अनुपालन को आसान बनाकर निर्यातकों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करता है।
- **प्रस्तुति के बाद प्रविष्टियों के संशोधन के लिए विनियमन (धारा 18ए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962)-** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18ए के तहत विनियमों की शुरूआत की निकासी के बाद प्रविष्टि बिलों और शिपिंग बिलों में प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए एक संरचित और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र स्थापित करती है। सुधार आयातकों और निर्यातकों को वर्गीकरण, मूल्यांकन और मात्रा जैसे क्षेत्रों में पोस्ट-क्लियरेंस सुधारों के लिए डिजिटल रूप से अनुरोध करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सिस्टम-आधारित सत्यापन और सभी सीमा शुल्क संरचनाओं में समान प्रक्रियाएं शामिल हैं।

*****